(3)

संख्या– 471/XVIII(1)/2011-3/2008

प्रेषक,

सन्तोष बडोनी
अनुसचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

मुख्य राजस्व आयुक्त/
मुख्य संचालक राजस्व पुलिस,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

राजस्व अनुभाग–1

देहरादूनः दिनांकः 02 अप्रैल मार्च, 2011

विषयः– राजस्व पुलिस संवर्ग के पुनर्गठन/वेतनमान उच्चीकरण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रदेश के लगभग 65 प्रतिशत भू–भाग पर राजस्व पुलिस व्यवस्था लागू है, लगभग 95 वर्षो से चली आ रही कानून व्यवस्था को राज्य के लिये अभी भी उपयोगी समझा गया है। वर्तमान परिस्थितियों, कानून व्यवस्था की जटिलताओं, नये–नये कानूनों के प्रख्यापन तथा जांच प्रक्रिया आदि की कठिनाईयों के दृष्टिगत राजस्व पुलिस व्यवस्था को सुदृढ़ किये जाने की आवश्यकता है। इस दृष्टि से राजस्व पुलिस संवर्ग में बेहतर कार्मिकों की सेवाये प्राप्त करने हेतु इस संवर्ग का वेतनमान, पदनाम, शैक्षिक अर्हताएं एवं उनके प्रशिक्षण को पुनरीक्षित करने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2– राजस्व पुलिस संवर्ग राजस्व निरीक्षक (कानूनगो), पटवारी एवं राजस्व निरीक्षक/पटवारी अनुसेवक के पदनाम, वेतनमान एवं शैक्षिक अर्हता वर्तमान व्यवस्था को निम्नतालिका के अनुरूप पुनरीक्षित किये जाते हैं:–

वर्तमान व्यवस्था				पुनरीक्षित व्यवस्था		
क्र0 सं0	पदनाम	शैक्षिक अर्हता	वर्तमान वेतनमान (रू0 में)	पदनाम	संशोधित वेतनमान (रू0 में)	शैक्षिक अर्हता
1	2	3	4	5	6	7
1.	राजस्व निरीक्षक (पर्वतीय कानूनगो)	प्रोन्नति का पद	(4500–7000) रू0 5200–20200 +ग्रेड पे रू0 2800	राजस्व निरीक्षक (पर्वतीय कानूनगो)	(5000–8000) 9300–34800+ ग्रेड पे–4200	प्रोन्नति का पद
2.	पटवारी	इण्टरमीडिएट (सीधी भर्ती)	(3050–4590) रू0 5200–20200 +ग्रेड पे रू0 1900	राजस्व उपनिरीक्षक	(4500–7000) 5200–20200+ ग्रेड पे–2800	स्नातक (सीधी भर्ती)
3.	राजस्व निरीक्षक (पर्वतीय)/ पटवारी अनुसेवक	समूह "घ" नियमावली के अनुसार	(2550–3200) रू0 4440–7440 +ग्रेड पे रू0 1300	राजस्व सेवक	स्टाफिंग पैटर्न के अनुसार 2550–3200 35% 2650–4000 33% 2750–4400 25% 3050–4590 10% रू0 1000/–प्रतिकर भत्ता	समूह "घ" नियमावली के अनुसार

3– इस राजस्व पुलिस संवर्ग में कार्यरत कार्मिको एवं संवर्ग में नयी/सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त होने वाले कार्मिको की क्षमता वृद्धि के लिए पटवारी प्रशिक्षण केन्द्र, अल्मोड़ा, पुलिस प्रशिक्षण केन्द्र नरेन्द्रनगर, उत्तराखण्ड न्यायिक अकादमी, भवाली, उत्तराखण्ड प्रशासनिक अकादमी, नैनीताल एवं उत्तराखण्ड विधि विज्ञान केन्द्र, देहरादून को सम्मलित कर एक प्रशिक्षण मॉड्यूल तैयार किया जायेगा यह प्रशिक्षण मॉड्यूल मुख्य राजस्व आयुक्त/मुख्य संचालक राजस्व पुलिस द्वारा इन सभी प्रशिक्षण संस्थानो से परामर्श से तैयार किया जायेगा।

4– राजस्व पुलिस संवर्ग में सीधी भर्ती से नियुक्त होने वाले कार्मिकों के लिए न्यूनतम 9 माह का प्रशिक्षण अनिवार्य होगा, इसमे 6 माह का प्रशिक्षण पटवारी केन्द्र, अल्मोड़ा, उत्तराखण्ड प्रशासनिक अकादमी, नैनीताल, उत्तराखण्ड पुलिस प्रशिक्षण केन्द्र, नरेन्द्रनगर, उत्तराखण्ड न्यायिक अकादमी, भवाली तथा 3 माह का फील्ड प्रशिक्षण जिला स्तर पर होगा। संवर्ग में सीधी भर्ती से नियुक्त कार्मिकों को प्रथम वेतन वृद्धि तभी अनुमन्य की जायेगी जब उनके द्वारा यह प्रशिक्षण सफलतापूर्वक प्राप्त कर लिया जायेगा।

5– वर्तमान में कार्यरत राजस्व पुलिस संवर्ग के कार्मिको द्वारा पटवारी प्रशिक्षण केन्द्र, अल्मोड़ा में प्रशिक्षण प्राप्त किये जाने की व्यवस्था निर्धारित है अतः उनके लिए उपरोक्त अन्य संस्थानो का प्रशिक्षण मॉड्यूल मुख्य राजस्व आयुक्त/मुख्य संचालक राजस्व पुलिस द्वारा प्रशिक्षण संस्थानों के परामर्श से तैयार किया जायेगा। प्रशिक्षण की अवधि, इन प्रशिक्षण संस्थानों में प्रशिक्षण के लिए सीटों की उपलब्धता एवं वर्तमान में कार्यरत पटवारियो की बड़ी संख्या के दृष्टिगत उन्हें पुनरीक्षित वेतनमान इस शर्त के साथ अनुमन्य करा दिया जाय कि वे एक निर्धारित समयावधि के भीतर प्रशिक्षण प्राप्त कर लेंगे। यदि इन्हें तत्काल प्रशिक्षण दिया जाना सम्भव हो सके तो ऐसे प्रशिक्षण प्राप्त कार्मिकों को प्रशिक्षण के उपरांत नये वेतनमान अनुमन्य कराये जायेंगे।

6– उक्तानुसार संशोधित/उच्चीकृत वेतनमानों में वर्तमान पदधारको का वेतन निर्धारण दिनांक 01.01.2006 से किये गये पुनरीक्षित वेतनमानों के विषय में समय–समय पर निर्गत शासनादेशों के अनुसार किया जायेगा, यदि किसी कर्मचारी/अधिकारी का वेतन निर्धारण उनके द्वारा पूर्व आहरित वेतन से निम्न स्तर पर होता है तो अन्तर की धनराशि उसे वैयक्तिक रूप से अनुमन्य कराते हुए उसका पूर्व वेतन संरक्षित किया जायेगा। वैयक्तिक वेतन आगामी वेतनवृद्धि में समायोजित कर दिया जायेगा। उक्तवत वेतनमान में वेतन के निर्धारण के फलस्वरूप यदि पदधारक का वेतन ग्रेड पे घटाकर संशोधित पे बैंड के अन्तर्गत आ रहा है तो उस पर नये पद के ग्रेड पे को जोड़ते हुए निर्धारण किया जायेगा और यदि वेतन पे बैंड की सीमा के अन्दर नहीं आ रहा है तो पुनरीक्षित वेतनबैंड के न्यूनतम पर ग्रेड पे जोड़ते हुए वेतन का निर्धारण किया जायेगा।

7– उपर्युक्तानुसार सम्बन्धित पदधारक को मूल नियम–23(1) के अन्तर्गत विकल्प का भी अधिकार होगा, अर्थात् वह इस शासनादेश के निर्गत हाने की तिथि अथवा वर्तमान वेतनमान में किसी अनुवर्ती/वेतनवृद्धि की तिथि से संशोधित वेतनमान का विकल्प दे सकता है विकल्प देने की तिथि इस शासनादेश के निर्गत होने की तिथि से 90 दिन होगी और इस अवधि के अन्तर्गत विकल्प न देने की दशा में यह मान लिया जायेगा कि पात्र कर्मचारी/अधिकारी द्वारा शासनादेश निर्गमन की तिथि से विकल्प दिया गया है।

8– राजस्व पुलिस के पदधारको के पदनाम परिवर्तन एवं वेतनमान उच्चीकृत किये जाने के फलस्वरूप

सेवा संवर्गो के नियमावली में व्यवस्था कर नियमावली संशोधन/प्रख्यापन का प्रस्ताव तत्काल शासन को उपलब्ध कराया जाय।

9– राजस्व पुलिस के पदधारको को राजस्व पुलिस कार्यो के संपादन हेतु अनुमन्य भत्ते सम्बन्धी शासनादेश संख्या–578/XVIII(1)/2010–3/2008 दिनांक 07 जून, 2010 तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जाता है।

10– शासनादेश द्वारा वेतनमान उच्चीकृत/संशोधित किये जाने के फलस्वरूप राजस्व पुलिस संवर्ग के पदधारको को समय–समय पर वित्त विभाग द्वारा निर्गत शासनादेशों द्वारा अनुमन्य वित्तीय/अन्य लाभ अनुमन्य होंगे।

11– इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय सम्बन्धित वित्तीय वर्ष के आय–व्ययक की अनुदान संख्या–6 लेखाशीर्षक–2029–भू–राजस्व–00–आयोजनेत्तर–103–भू–अभिलेख–03–जिला अधिष्ठान–00 के अन्तर्गत सुसंगत प्राथमिक इकाईयों के नामें डाला जायेगा।

12– यह आदेश वित्त विभाग के अ0शा0 संख्या–4892/XXVII(7)/2011 दिनांक 29 मार्च, 2011 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(सन्तोष बडोनी)
अनुसचिव

संख्या– 4710 **/XVIII(1)/2011 तद्दिनांक।**

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

1. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
2. महालेखाकार, उत्तराखण्ड देहरादून।
3. निदेशक, कोषागार, पेंशन एवं वित्त सेवायें, उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. आयुक्त कुमाऊँ/गढ़वाल मण्डल, नैनीताल/पौड़ी।
5. निदेशक, सूचना विभाग, उत्तराखण्ड।
6. स्टॉफ आफिसर, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड।
7. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
8. समस्त वरिष्ठ/मुख्य कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
9. निदेशक, एन0आई0सी0, उत्तराखण्ड सचिवालय, देहरादून को इन्टरनेट पर प्रसारण हेतु।
10. वित्त (वे0अ0–सा0नि0) अनुभाग–7
11. वित्त अनुभाग–5
12. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(सन्तोष बडोनी)
अनुसचिव